



MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY ROHTAK
(A State University established under Haryana Act No. 25 of 1975)
NAAC accredited 'A+' Grade

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खेल परिसर, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक में लकड़ी स्क्रैप (शीशम व अन्य), लगभग 50000 किलोग्राम, की नीलामी दिनांक 14/10/2021 को 11.30 बजे सुबह समिति व इच्छुक पार्टियों की उपस्थिति में उच्चतम कीमत व "जहाँ है जैसे है" के आधार पर होगी जिनका व्यौरा व नीलामी की शर्तें आदि कार्यकारी अभियन्ता / उपमण्डल अभियन्ता (C-III), महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस या विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mdurohtak.ac.in पर देखी जा सकती है। बोलीदाता को अपनी बोली अग्रिम राशि (कार्यकारी अभियन्ता, म.द.वि., रोहतक के नाम बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में) के साथ मोहरबन्द लिफाफे में दिनांक 14/10/2021 सुबह 11.00 बजे तक कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय में रखी ताला बन्द पेटी में ढालनी होगी जिसे उसी दिन सुबह 11.30 बजे समिति व इच्छुक पार्टियों की उपस्थिति में खोला जायेगा।


कार्यकारी अभियन्ता

लकड़ी स्क्रैप (शीशम व अन्य), लगभग 50000 किलोग्राम की निलामी "जहाँ है जैसे है" के आधार पर खेल परिसर, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक में होगी।

काम के लिए मापदंड :-

I. लकड़ी स्क्रैप महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक कैपस में "जहाँ है जैसे है" के आधार पर बेची जाएंगी।

II.	लकड़ी स्क्रैप का वजन लगभग 50000 किलोग्राम है। जिसमें शीशम की लकड़ी लगभग 32000 किलोग्राम तथा अन्य लगभग 18000 किलोग्राम है। यह वजन कम या ज्यादा हो सकता है।
III.	लकड़ी स्क्रैप की लोडिंग, अनलोडिंग और कार्टेज का खर्च एजेंसी द्वारा ही वहन किया जायेगा।
IV.	लकड़ी स्क्रैप को उठाने के बाद एजेंसी को उस क्षेत्र को साफ करना होगा।

सामान्य नियम और शर्तेः -

- निविदा में उच्चतम बोली एजेंसी को कार्य आवंटित किया जाएगा।
- बोलीदाता को अपनी बोली की दरे "जहाँ है जैसे है" के आधार पर देखकर बन्द लिफाफे में दिनांक 14/10/2021 सुबह 11.00 बजे तक कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय में बन्द पेटी में जमा करवानी होगी। जिसे समिति तथा बोलीदाता की उपस्थिति में सुबह 11.30 बजे कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय में खोला जायेंगा। लकड़ी स्क्रैप की कीमत संलग्न प्रोफार्मा के अनुरूप भर कर देनी होगी।
- कार्य पूरा करने का समय दो महीने होगा।
- कार्य के आवंटन के बाद एजेंसी 07 दिनों के भीतर प्रदर्शन / निष्पादन सुरक्षा के रूप में 75,000/- रूपये जमा करेगी। यह प्रदर्शन सुरक्षा किसी भी निर्धारित बैंक से कार्यकारी अभियंता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के नाम से जारी बैंक ड्राफ्ट के संदर्भ में हो सकती है। यह प्रदर्शन / निष्पादन सुरक्षा साईट को महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को सौंपने व कार्य पूरा होने के एक महीने के बाद वापिस किया जाएगा।

5. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रूपये 15,000/-, (पन्द्रहर हजार रुपये) अग्रिम राशि के रूप में कार्यकारी अभियन्ता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के नाम बैंक ड्राफ्ट मोहरबन्द लिफाफे में बोली के साथ डालना होगा।
6. प्रदर्शन /निष्पादन सुरक्षा जमा करने के बाद एजेंसी की मांग पर अग्रिम राशि वापिस कर दी जायेगी।
7. निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार काम के आंबटन पत्र के बाद एजेंसी द्वारा भुगतान जमा किया जाएगा: -
 - i. काम शुरू होते ही लगभग आधी राशि एजेंसी को जमा करवानी होगी अन्यथा किसी भी लकड़ी को परिसर से बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - ii. जैसे ही उपरोक्त जमा की हुई आधी राशि की लकड़ी उठा ली जायेगी उसके बाद बची हुई लकड़ी उठाने से पहले बाकि बची हुई आधी राशि जमा करवानी होगी।
8. भुगतान ऑनलाइन या डीडी के माध्यम से वित्त अधिकारी, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के पक्ष में स्वीकार किए जाएंगे।
9. यदि बोलीदाता अथवा कोई मजदूर इस बोली की सारी प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय की किसी सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसकी पूर्ण भरपाई जो महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक उचित समझे निविदाकर्ता को करनी होगी।
10. एजेंसी को केंद्र/राज्य सरकार के अनुसार सभी श्रम कानूनों /नियम का पालन करना होगा।
11. कैपस से लकड़ी निकालने के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक गेट पास जारी किया जाएगा।
12. यदि परिसर से लकड़ी निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन में लकड़ी को छोड़कर कोई भी विश्वविद्यालय सामग्री पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और विश्वविद्यालय द्वारा एजेंसी को दंडित किया जाएगा।

13. एजेंसी निविदा से पहले अपनी लागत पर साइट का सर्वेक्षण कर सकती है। लकड़ी महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के खेल परिसर में पड़ी है।
हालाँकि, एजेंसी साइट सर्वेक्षण के लिए सतीश मित्तल, एस०डी०ई० (C-III), से फोन नंबर 9416557771 पर चर्चा कर सकती है।
14. यदि एजेंसी को बिजली, की आवश्यकता हो, तो विश्वविद्यालय द्वारा पास के क्षेत्र से एमडीयू में प्रचलित वाणिज्यिक दरों पर प्रदान की जा सकती है।
हालाँकि, बिजली के कनेक्शन के लिए तार की व्यवस्था एजेंसी को अपने आप करनी होगी।
15. कार्य का निष्पादन विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की देख रेख में होगा।
16. निविदा को स्वीकृति करने का अधिकार इस उद्देश्य के लिए गठित समिति के पास होगा और समिति कोई कारण बताए बिना उद्धरण / निविदा के किसी भी या सभी मदों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। समिति को उच्चतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। समिति भाग या पूरे में किसी भी वस्तु या किसी भी मात्रा या किसी भी क्षेत्र के उद्धरण / निविदा को स्वीकार करने और बाकी के लिए इसे अस्वीकार करने या दोनों को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
17. यदि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय एजेंसी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय 15 दिनों का नोटिस देकर अपनी ओर से किसी भी दायित्व के बिना अनुबंध को समाप्त करने की स्वतंत्रता होगा।
18. किसी भी चूक / उपेक्षा / कार्रवाई, मांग, कार्यवाही, मुकदमों संलग्नक, करों का भुगतान न करने, देनदारियों की गैर-निकासी, के कारण क्षतिपूर्ति / क्षतिपूर्ति स्थानीय निकायों / राज्य / केंद्र सरकारों के वैधानिक कानूनों / नियमों का पालन न करना और इसके कर्मचारियों की गलती और / या कमी / लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाली क्षतिपूर्ति एजेंसी द्वारा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को की जायेगी।
19. एजेंसी द्वारा लगे हुए कामगारों को दिये जाने वाले भुगतान के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। एजेंसी कामगारों की सभी सुरक्षा

सावधानियों को सुनिश्चित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की उसके कामगार पूरी सावधानी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की जिम्मेवारी स्वयं एजेंसी की होगी। विश्वविद्यालय का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा।

20. विश्वविद्यालय किसी भी इकाई के लिए एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी वित्तीय, न्यायिक और / या प्रशासनिक प्रतिबद्धताओं का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
21. यदि कोई विवाद होगा तो केवल रोहतक में अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। उद्धरण / निविदा या चालान या किसी अन्य दस्तावेज में उल्लिखित किसी अन्य क्षेत्राधिकार में कोई कानूनी पवित्रता नहीं होगी।
22. अनुबंध के किसी भी पहलू के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को ठेकेदार और विश्वविद्यालय के बीच आपसी परामर्श और समझौते के माध्यम से सुलझाया जाएगा। यदि मामला निपटारा नहीं हुआ है, तो विवाद भारतीय न्याय अधिनियम 1966 के दायरे में आ जाएगा और क्षेत्राधिकार रोहतक होगा।
23. समझौते का संशोधन: –
एजेंसी और एमडीयू के दायित्वों को इस समझौता ज्ञापन उल्लेखित कर दिया गया है। हालांकि, समझौते के संचालन के दौरान, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो इस समझौते के नियमों और शर्तों में संशोधन या संशोधन के लिए कह सकती हैं। ऐसी स्थिति में, संशोधनों / रूपान्तरों के रूप में परस्पर सहमति हो सकती है इस समझौते में शामिल किया जाएगा।
24. यदि इस समझौते के किसी प्रावधान / प्रावधानों के अर्थ और प्रभाव के अनुसार कोई संदेह या अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो स्पष्टीकरण के लिए कुलपति, एमडीयू रोहतक को संदर्भित किया जाएगा। कुलपति द्वारा प्रदान किया गया स्पष्टीकरण दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
25. अन्य शर्तें यदि कोई होगी तो उसकी घोषणा बोली के समय मौकें पर कर दी जाएंगी और कार्य के दोरान यदि कोई नियम व शर्त होगी तो आपसी सहमति से लागू की जायेगी।

26. किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की जिम्मेवारी स्वयं एजेंसी की होगी। विश्वविद्यालय का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा।
27. अग्रिम राशि सिवाए उस व्यक्ति की जिसकी बोली स्वीकार कर ली जाती हैं, तुरन्त वापिस लौटा दी जायेगी। जिसकी बोली स्वीकार कर ली जाती हैं उसकी अग्रिम राशि काम पूरा होने व उपमंडल अभियन्ता (सिविल-3) से संतोषजनक प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर लौटा दी जायेगी।
28. नियमों के मुताबिक 2% टीडीएस और 5% जीएसटी या जो लागू होगा बोलीदाता को अलग से देना होंगा।
29. बोलीदाता को पैन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण संख्या और आधार कार्ड की प्रतियां बोली के साथ जमा करवानी अनिवार्य है।
30. शीशम की लकड़ी का आरक्षित मूल्य @ 16/- रुपये (सौलह रुपये) प्रति किलोग्राम है तथा अन्य लकड़ी के स्क्रैप का आरक्षित मूल्य @ 08/- रुपये (आठ रुपये) प्रति किलोग्राम है।



मूल्य बोली

कार्य का नाम:-खेल परिसर, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक में
लकड़ी स्क्रैप (शीशम व अन्य)

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	मात्रा	इकाई	ऐजंसी द्वारा दी गई कीमत (टैक्स को छोड़कर)
1	शीशम लकड़ी स्क्रैप	32000 किलो	प्रति किलो	
2	अन्य लकड़ी स्क्रैप	18000 किलो	प्रति किलो	

ध्यान दें:- नियमों के मुताबिक 2% टीडीएस और 5% जीएसटी या जो लागू होगा ऐजंसी द्वारा उपरोक्त दी गई कीमत से अलग से देना होंगा।